



**The Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan Tatha Pension
Adhiniyam, 1972**

Act 7 of 1973

Keyword(s):


Salary, Pension, Allowances, MLA

Amendments appended: 17 of 2002, 27 of 2004, 5 of 2005, 4 of 2006, 8 of 2007, 10 of 2008, 6 of 2009, 15 of 2020, 12 of 2022, 9 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

मध्यप्रदेश की पूर्व-प्रदायणी के
भोपाल द्वारा भेजे जाने के
अनुमति प्राप्ति। अनुमतिप्राप्ति
एम. पी. सी. 49.

पंची क्रमांक एम. पी. — 533



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
संस्कार से प्रकाशित

फलाक 29] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 फरवरी 1973—पाद 12, शके 1894.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी १९७३.

क्र. ३६५८-इक्कीस-आ (प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर
जनवरी १९७३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की
मिशन के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बा. रा. दुबे, सचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

त्रिमासी ७ सप्तमी १९७३

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य बैतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७३

विषय-सूची

घाराएं

१. संक्षिप्त नाम.
२. परिभाषाे.
३. सदस्यों का बैतन.
४. सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र-भत्ता.
५. राज्य परिवहन द्वारा निःशुल्क अग्रिमवहन.
६. यात्रा तथा दैनिक भत्ता.
७. सदस्यों के लिये चिकित्सीय परिचर्चा तथा उपचार आदि.
८. विरोधी दल के नेता के लिये निवास-स्थान, टेलीफोन तथा कम्बारीवृत्त की व्यवस्था.
९. नियम बनाने की शक्ति.
१०. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

ऋग्मांक ७ सन् १९७३.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता
अधिनियम, १९७२

दिनांक २६ जनवरी १९७२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र” (आसाधारण) में दिनांक १ फरवरी १९७३ को प्रथमवार प्रकाशित की गई।]

मध्य विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेहसिलें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित में यह अधिनियमित हो :—

१. यह अधिनियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७२ कहा जा सकेगा। संक्षिप्त नाम,

२. इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ

(क) “समिति” से अभिप्रेत है विधान सभा की कोई प्रबर उमिति या विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन गठित कोई समिति या अध्यक्ष या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई कोई समिति और उसके (समिति के) अन्तर्गत कानूनी बोर्ड, तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये बोर्ड आते हैं;

(ख) “सदस्य” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई सदस्य, किन्तु उसके अन्तर्गत—

- (एक) मंत्री;
- (दो) राज्य मंत्री;
- (तीन) उप मंत्री;
- (चार) संसदीय सचिव; और
- (पांच) मध्यप्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नहीं आते हैं;

(ग) “सद” से अभिप्रेत है वह संपूर्ण कालावधि जिसका आरम्भ विधान सभा की बैठकों के प्रारम्भ होने के दिन से तीन दिन पूर्व होता हो और जिसका अन्त विधान सभा की बैठकों के अनिवार्य काल के लिये स्थगित द्वारा या सत्रावसान द्वारा, जैसी भी कि दशा हो, समाप्त होने के दिन से ठीक तीन दिन पूर्वान्त होता हो।

मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों को प्रतिसामिनी वेतन दिया जायगा। सदस्यों का वेतन

मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों को प्रतिसामिनी वेतन के अनुसार निवालन-भत्ता-भत्ता-विधान सदस्यों को निवालन-भत्ता-भत्ता-

राज्य परिवहन ग्राम ५. अन्यक सदस्य के उच्चतम वोटों को एक निश्चल अनुच्छेदग्राम पास दिया जायगा। जिसका उपर्युक्त उपकार विवरण ग्राम द्वारा बताई गई किसी सोबत उस विवरण के भीतर विसी भा. ऐसे मात्र एवं निष्पत्ति द्वारा अनुच्छेदग्राम का विवरण हो, यदा वहने का हकदार न जायगा। किंतु इस घारा में शालामिट कोई भी वाहन इस अधिकारियम के विज्ञान अन्य अववाहक समीक्षा किसी सदस्य को दिये जिसी घारा भरते के भूगतात को प्रभावित नहो करेगी।

स्पष्टीकरण ——इस घारा के प्रयोजन के लिये “राज्य परिवहन उपकार सं अधिकृत है तथा उसके अन्तर्गत आते हैं मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन नियम तथा राज्य सरकार के स्वामित्व का कानून भी राज्य परिवहन उपकार

यावा तथा दैनिक भर्ता।

६. प्रत्येक सदस्य, जबकि वह सरकारी काम से याता करता हो, ऐसी दूरी से तथा ऐसी धूती पर, जिसी कि राज्य सरकार द्वारा देताये गये नियमों द्वारा भवधारित की जायें, यावा तथा दैनिक भर्ता पाने का हकदार होगा।

सदस्यों के लिये चिकित्सीय परिचय

७. (१) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अधीन रहते हए, प्रत्येक सदस्य अप्रतिक्रियोंका रूप से, राज्य सरकार द्वारा नियम तथा सफार आदि, गये चिकित्सालयों में ऐसा स्थान नियुक्त ब्राह्मण का तथा ऐसे चिकित्सालयों द्वपलम्य ऐसा चिकित्सीय उपचार नियुक्त ब्राह्मण करने का भी हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के नियम-नियांग-नियवण के अधीन किसी ऐसे शासकीय सेवक के स्वयं ने लिये, जो कि प्रांतमाला २२५ रुपये पारामित्वान्तर आज्ञा करता हो, स्वीकृत होता है।

(२) जब तक कि उपस्थान (१) के अधीन नियम बनता दिये जाय तब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०२ के प्रत्यक्ष के अधीन राज्यमाल द्वारा बनाये गये चिकित्सीय परिचयों तथा उपचार सम्बन्धी नियम, इस उपास्तरण के अध्यधीन रहते हुए, कि प्रतिपूर्ति के किसी भी वावे के प्रयोजन के लिये नियन्त्रक प्राधिकारी मध्यन प्रदेश निवास सभा का सत्रित होगा, सदस्य को उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार कि वे पूर्वान्त शासकीय सम्बन्ध को उसके स्वयं के लिये जागू होते हैं।

विरोधी दल की नेता

८. (१) वह सदस्य, जो विरोधी दल का नेता हो, ऐसे सदस्य के इपम के लिये निवास-स्थान ब्रह्मधारा ३, ४, ५, ६ तथा ७ के अधीन जो कुछ भी पाने का हकदार है उसके साथ-साथ टेलीफोन तथा कर्म वह इत बात का हकदार होगा कि—

आरीवृन्द की व्यवस्था.

(क) वह ओपल में उस कालाबधि तक जिसमें कि वह विरोधी दल का नेता रहे और उसके भ्रमवित्त प्रशान्त एक साप की काला वधि तक, किरणे का भ्रमान्त लिये बिना, सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करे और ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षा की वाबत विरोधी दल के नेता को कोई प्रभार नहीं देना पड़ेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन उसे दिये गये निवास स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था सरकारी खजोंसे की जाय :

परन्तु द्रुक्काल के लिये प्रभार विरोधी दल के नेता द्वारा बहत किये जायेंगे।

(ग) उसे सरकारी लज्जे पर एक मुद्रलेखक (टाइपिस्ट) तथा एक चपरा की सेवाएँ उपलब्ध रहें।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये निवास-स्थान को सुसज्जित नहीं के बारे में किया जाने वाला व्यय और ऐसे निवास-स्थान के समारकण, वार्षिक व्ययों तथा प्रान्तरकण के बारे में किया जाने वाला वार्षिक व्यय उसी आदिनियम, १९७२ व्यापारिक २५ सन् १९७२) की धारा ५ [तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उस निवास-स्थान के बारे में, जो कि उक्त आदिनियम के अधीन किसी मर्दी को दिया गया है, नियत की गई है।

(३) वह तारीख, जिसको कि कोई सदस्य विरोधी दल का नेता हो जाय जाया विरोधी दल का नेता न रह जाय, राजपत्र में प्रकाशित की जायगी और कोई ऐसी आदिनियम इस तथ्य का निश्चयक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को धारा के प्रयोजनों के लिये विरोधी दल का नेता हुआ था अथवा इस धारा के प्रयोजनों के लिये विरोधी दल का नेता नहीं रह गया था।

(४) इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "विरोधी दल का नेता" से अभिप्रैत है वह सदस्य जो राज्य विधान सभा में, राज्य सरकार के विपक्ष में रहे उस दल का, जो कि उस सभा में सब से श्राविक सदस्य संख्या वाला दल हो, तरंगमय नेता हो, और यदि कोई सन्देह इस बारे में उत्पन्न हो कि ऐसे दल का उस सभा में नेता कौन है अथवा किसी सारकान् समय पर ऐसे दल का उस सभा में नेता कौन था, तो वह प्रबन्धन, इस धारा के प्रयोजनों के लिये, उक्त सभा के अध्यक्ष द्वारा विनियमित किया जायगा और उसका विनियमन्त्र, जो उसके हस्ताक्षर से लिखित में प्रमाणित किया गया हो, अन्तिम तथा निरचायक होगा;

(ख) "निवास स्थान" में उससे शतलग्न कर्मचारी-न्यायांतर तथा अन्य भवन एवं उद्यान का नियमित है और निवास-स्थान से संबंधित "अनुरक्षण" में स्थानीय रेटों तथा करों का भुगतान और विद्युत् एवं जल की व्यवस्था सम्मिलित है।

६. (१) राज्य सरकार इस आदिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने लिये नियम बना सकती।

(२) निशिष्टतया तथा पूर्वाभासी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकते :—

(क) किसी सदस्य को धारा ६ के अधीन देय याता तथा दैनिक भत्ता की दरें;

(ख) सदस्यों के लिये धारा ७ के अधीन चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का विनियमन।

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम मालवेदम विधान सभा ने उन रखे जानें और विधान सभा, संकाय द्वारा, उन नियमों को उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकती।

(४) नियम उस तारीख से प्रभावशील होने विस्तो कि नियमों को अनुमोदित नहीं करने वाले समस्त विधान सभा द्वारा पारित किया जाय।

प्रधानमंत्री ने नियमों के अधीन विधान सभा द्वारा पारित किया जाया है।
(क्रमांक ४ सन् १९७२) एवं द्वारा नियमन्त्र किया जाया है।

नियमन्

मध्यप्रदेश विधान सभा का अनुचिती 1973

मध्यप्रदेश विधान सभा का अनुचिती 1973

मध्यप्रदेश विधान सभा का अनुचिती 1973
मध्यप्रदेश विधान सभा का अनुचिती 1973
मध्यप्रदेश विधान सभा का अनुचिती 1973
मध्यप्रदेश विधान सभा का अनुचिती 1973

मध्यप्रदेश के उच्चमाल के सभी विधायकों का अनुचिती

विधायकों का अनुचिती

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 of 1973

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA
VETAN TATHA BHATTA ADHINIYAM, 1972.

Table of Contents

Sections

1. Short title.
2. Definitions.
3. Salaries of members.
4. Constituency allowance to members.
5. Free transit by State Transport.
6. Travelling and daily allowance.
7. Medical attendance and treatment etc., to members.
8. Provision for residence, telephone and staff for Leader of opposition.
9. Power to make rules.
10. Repeal.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 of 1973.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN TATHA BHATTA ADHINIYAM, 1972.

Received the assent of the Governor on the 29th January, 1973 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary) dated the 1st February, 1973.]

Act to provide for the salaries and allowances of members of the State Legislative Assembly.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Short title, Vidhan Sabha Sadasya Vetan Tatha Bhatta Adhiniyam, 1972.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.

- (a) "Committee" means a Select Committee of the Legislative Assembly or a Committee constituted under the rules of procedure of the Legislative Assembly or a Committee appointed by the Speaker or the State Government and includes the statutory Boards and the Boards appointed by the State Government;
- (b) "Member" means a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly, but does not include—
 - (i) a Minister;
 - (ii) a Minister of State;
 - (iii) a Deputy Minister;
 - (iv) a Parliamentary Secretary; and
 - (v) the Speaker and the Deputy Speaker of the Madhya Pradesh Legislative Assembly;
- (c) "Session" means the whole period beginning with three days preceding the day of commencement of the sittings of the Legislative Assembly and ending with three days immediately following the day of termination of the sittings of the Legislative Assembly, by adjournment sine die or Prorogation, as the case may be.

There shall be paid to every member a salary of Salaries of members two hundred rupees per mensem.

There shall be paid to every member a constituency allowance of two hundred rupees per mensem.

Free transit by
State Transport.

5. Every member shall be provided with one free non-transferable pass of the highest class which shall entitle him to travel by any motor bus run by a State transport undertaking on any route within the State on which such transport undertaking operates, but nothing contained in this section shall affect the payment of any travelling allowance payable to a member under any other provision of this Act.

*Explanation.—*For the purpose of this section "State transport undertaking" means and includes the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation and any other transport undertaking owned by the State Government.

Travelling and
daily allowance.

6. Every member shall be entitled, while travelling on public business, to travelling and daily allowances at such rates and upon such conditions as may be determined by rules made by the State Government.

Medical attendan-
ce and treatment
etc; to members.

7. (1) Subject to any rules made in this behalf by the State Government, every member shall himself be entitled free of charge, to accommodation in hospitals maintained by the State Government and also to medical treatment available in such hospitals as admissible to a Government servant under the rule making control of the State Government drawing a pay of Rs. 225 per month or above personally for himself.

(2) Until rules are made under sub-section (1), rules relating to medical attendance and treatment made by the Governor under the proviso to article 309 of the Constitution of India shall apply to a member as they apply to aforesaid Government servant personally for himself, subject to modification that controlling authority for the purpose of any claim of reimbursement shall be Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha.

Provision for resi-
dence, telephone
and staff for
Leader of opposi-
tion.

8. (1) The member who is the Leader of opposition shall, in addition to whatever he is entitled to as such member under sections 3, 4, 5, 6 and 7, be entitled,—

(a) without payment of rent, to the use of a furnished residence at Bhopal for the period he is the Leader of opposition and for the period of one month immediately thereafter and no charge shall fall upon the Leader of the opposition in respect of the maintenance of such residence.

(b) at the cost of the Government, to the provision of a telephone at the residence provided to him under clause (a):

Provided that the charges for trunk-calls shall be borne by the Leader of opposition;

(c) at the cost of the Government, to service of a typist and a peon.

(2) The expenditure to be incurred in respect of furnishing of the residence provided under sub-section (1) and the annual expenditure to be incurred in respect of upkeep, annual repairs and maintenance of such residence shall be subject to the same monetary limits as one fixed by section 5 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) and the rules made thereunder in respect of a residence provided to a Minister under the said Adhiniyam.

(3) The date on which a member becomes or ceased to be the Leader of the Opposition shall be published in the Gazette and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became or ceased to be the Leader of Opposition on that date for the purposes of this section.

(4) For the purpose of this section—

(a) "Leader of opposition" means that member who is for the time being the leader in the State Legislative Assembly of the party in opposition to the State Government having the greatest numerical strength in that Assembly and if any doubt arises as to which is or was at any material time the leader in that Assembly of such a party, the question, shall be decided, for the purposes of this section, by the Speaker of the said Assembly and his decision, certified in writing under his hand, shall be final and conclusive;

(b) "residence" includes the staff quarters and other buildings appurtenant thereto and the garden thereof and "maintenance" in relation to the residence includes the payment of local rates and taxes and provision of electricity and water.

9. (1) The State Government may make rules for Power to make rules for the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the general power of the foregoing power, such rules may provide for—

(a) rates of travelling and daily allowance payable to a member under section 6;

(b) regulation of medical attendance and treatment to members under section 7.

(3) All rules made under this section shall be laid on the Table of the Madhya Pradesh Legislative Assembly and the Legislative Assembly may, by resolution, approve the rules with or without modifications.

(4) The rules shall take effect from the date on which the resolution approving the rules is passed by the Legislative Assembly.

Repeal.

10. The Madhya Pradesh Legislative Assembly members (Salaries and Allowances) Act, 1956 (IV of 1957) is hereby repealed.

भोपाल, दिनांक १ फरवरी १९७३.

क्र. ३६६३-इनकीस-आ(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २६ जनवरी १९७३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बा. रा. दुबे, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नाम भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2002—वैशाख 4, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक 3104/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 18-4-2002 को गज्जपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम सं तथा आदेशानुमार,
आई. एस. उबोंबेजा, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन)

अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 17 सन् 2002) कहलाएगा।
- (2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. (एक) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 को धारा 4 (ग) में उल्लेखित शब्द “तीन सौ” के स्थान पर “दो सौ पचास” स्थापित किये जाएं।
- (दो) धारा 4 (ग) के अन्त में शब्द “उन दिनों के लिए जिनमें सदस्य विधान सभा की बैठकों या सम्मितियों की बैठकों में भाग लेते हैं वे प्रतिदिन रूपये 250 की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ते के लिए हकदार होंगे,” जोड़े जाएं।

“यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 2002 को पारित किया गया।”

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक 3104/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 17 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।

आई. एस. उषोवेंजा, उप-मन्चित्र।

**CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 17 of 2002)**

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002.**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

- | | |
|--|--|
| <p>1. (I) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 17 of 2002).</p> <p>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.</p> | <p>Short title and com-mencement.</p> |
| <p>2. (I) In Section 4 (c) of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) for the word "three hundred" the words "two hundred fifty" shall be substituted.</p> <p>(II) At the end of Section 4 (c) the words "Members shall further be entitled to daily allowance at the rate of Rs. 250 per day for the days they attend meetings of Vidhan Sabha or meeting of committees" shall be inserted.</p> | <p>Amendment in Sec-tion 4 (c).</p> |

“मिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. फिलाइ, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2005—माघ 26, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1288/21-अ/प्रारूपण/04. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-02-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमल सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन, संशोधन अधिनियम, 2004

विषय-सूची

धाराये -

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

2. धारा-4 का संशोधन

3. धारा-4 का संशोधन

4. धारा-4 ख का संशोधन

5. धारा-4 ग का संशोधन

6. धारा-4 घ का अन्तःस्थापन

7. धारा-5 का संशोधन

8. धारा-6 का संशोधन

9. धारा-6 ख का संशोधन

10. धारा-7 । का संशोधन

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन, संशोधन अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक-7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचापनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता, संशोधन विधेयक, 2004 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ कहलायेगा।
- (2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, (1972 जो इसमें इसके पश्चात् मूल धारा-4 का संशीलन, अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा-4 में शब्द “तीन हजार” के स्थान पर शब्द “पांच हजार” स्थापित किया जाये।
3. मूल अधिनियम की धारा-4 के शब्द “चार हजार” के स्थान पर “पांच हजार” स्थापित किया जाये। धारा-4 का संशोधन,
4. मूल अधिनियम की धारा-4 ख में शब्द “एक हजार” के स्थान पर “दो हजार” स्थापित किया जाये। धारा-4 ख का संशोधन,
5. धारा-4 ग की उपधारा (दो) के स्थान पर नई उपधारा स्थापित की जाये, अर्थात् -
“(दो) उन दिनों के लिए, जिनमें सदस्य विधान सभा की बैठकों या समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं, वे राज्य की राजधानी तथा राज्य के बाहर ऐसी समिति की बैठक की तिथि के एक दिवस पूर्व, एवं बैठक के एक दिन बाद के लिए प्रतिदिन “दो सौ पचास” रुपये की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे।”
6. मूल अधिनियम की धारा-4 ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाये, अर्थात् :-
“4 घ प्रत्येक सदस्य को स्टेशनरी भत्ता रुपये “चार हजार” प्रतिमास दिया जायेगा।” नई धारा-4 घ की अन्तःस्थापन,
7. मूल अधिनियम की धारा-5 क में, धारा-5 का संशोधन

 - (एक) उपधारा (1) में शब्द “पचहत्तर हजार” के स्थान पर शब्द “एक लाख पच्चीस हजार” स्थापित किये जाये, और
 - (दो) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“परन्तु, प्रत्येक सदस्य केवल पांच, आने-जाने के हवाई यात्रा एक और व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होगा।”

- (तीन) उपधारा (2) में, शब्द “चालीस हजार” के स्थान पर शब्द “साठ हजार” स्थापित किया जाये और उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जाये, अर्थात्:-
“परन्तु ऐसे व्यक्ति “साठ हजार रुपये” की सीमा में ही तीन, आने-जाने की हवाई यात्रा के भी हकदार होंगे.”
- धारा-6 क का संशोधन 8. मूल अधिनियम की धारा 6 के 1 में शब्द “तीन हजार पांच सौ” के स्थान पर शब्द “दस हजार” स्थापित किया जाये।
- धारा-6 ख का संशोधन 9. मूल अधिनियम की धारा-6 ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :-
“धारा 6 ख किसी वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी या उसके आक्षेत्र यदि कोई हो, को ऐसे (कु टु न्ब वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु के दिनांक से दस वर्ष की कालावधि के लिए पेशन रुपये पेशन) पांच हजार प्रतिमाह दी जायेगी।”
- धारा-7 1 का संशोधन 10. मूल अधिनियम की धारा-7 1 में शब्द “एक हजार पांच सौ” के स्थान पर शब्द “तीन हजार” स्थापित किया जाये।

लाइन नं ५ - लाइन ५

A - C - ३ - १८ - २००५ - १०२००५

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1288/21-अ/प्रारूपण/04. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य-वेतन, भत्ता तथा पेशन (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्र. 27 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 27 of 2004)

CHHATTISGARH VIDHANSABHA SADASYA VETAN BHATTA TATHA PENSION
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2004

INDEX

SECTION :

1. Short Title and Commencement
2. Amendment of Section-4
3. Amendment of Section - 4 - A
4. Amendment of Section - 4 - B
5. Amendment of Section - 4 - C
6. In Sediton of New Section - 4 - D
7. Amendment of Section - 5 - A
8. Amendment of Section - 6 - A
9. Amendment of Section - 6 - B
10. Amendment of Section - 7 - 1

CHHATTISGARH ACT

(No. 27 of 2004)

THE CHHATTISGARH VIDHANSABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA PENSION), (SANSHODHAN) ACT, 2004**An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension), Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973)****Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Fifth year of the Republic of India as follows :-**

- | | | |
|--------------------------------------|-------|---|
| Short title and Commencement. | 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Ventan Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004. |
| | (2) | It shall come into force from the date of its publication in the gazette. |
| Amendment of Section 4. | 2. | In Section 4 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Three Thousand" the words "Five Thousand" shall be substituted. |
| Amendment of Section 4-A. | 3. | In Section 4-A of the Principal Act for the words "Four Thousand" the words "Five Thousand" shall be substituted. |
| Amendment of Section 4-B. | 4. | In Section 4-B of the Principal Act for the words "One Thousand" the words "Two Thousand" shall be substituted. |
| Amendment of Section 4-C. | 5. | For sub-section (ii) of Section 4-C the following sub-section shall be substituted, namely : - |
| | (ii) | For those days in which a member attend the meetings of Vidhan Sabha/ Committees, In Capital or out of State for such meetings member entitle additional daily allowance at the rate of Rs. 250/- per day before a day and after a day of date of such meetings." |
| Insertion of new Section 4-D. | 6. | After Section 4-C of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely : - |
| | "4-D. | There shall be to every member stationery allowance of Four Thousand rupees per mensem." |
| Amendment of Section 5-A. | 7. | In Section 5-A of the Principal Act, - |
| | (i) | in sub-section (1) for the words "Seventy Five Thousand" the words "One Lac Twenty Five Thousand" shall be substituted. |
| | (ii) | for first proviso of the sub-section (1) the following proviso shall be substituted, namely : - |
| | | "Provided that every member shall entitle for both side Five Air Journies with one person accompanying him". |
| | (iii) | In sub-section (2), for the words "Forty Thousand" the words "Sixty Thousand" shall be substituted; and after sub-section (2) the following proviso shall be added, namely : - |

“Provided that such person within limit “Sixty Thousand” shall entitle for Three Air Journeys”.

- | | |
|--|--|
| 8. In Section 6-A of the Principal Act, for the words “Three Thousand Five Hundred” the words “ Ten Thousand” shall be substituted.

9. For Section 6-B the following Section shall be substituted, namely :-

“6-B. There shall be paid a pension of rupees five thousand per mensem to the spouse if any or dependent of a member/ex-member for a period of ten years from the date of his death”. | Amendment of
Section 6-A.

Amendment of
Section 6-B. |
| 10. In Section 7-1 of the Principal Act for the words “ one thousand five hundred” the words “three thousand” shall be substituted. | Amendment of
Section 7-1. |

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
लेट के नाम भुगतान (बिना डाक
(कट) के प्रेषण हेतु अनुमति, अमांक
म-2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भलाई, दिनांक 30-5-2001।"



पंजीयन अमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114/-009/2003/20-01-03।"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

अमांक 212]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2007—श्रावण 19, शक 1928

विधि और विधायी कार्यविभाग
मंत्रालय, दाल कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

अमांक 212/अ. 171/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-08-2007 को
प्रचापण की गयी गति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2007)

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)
अधिनियम, 2007**

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अद्वावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संशोधन विधान सभा प्रारम्भ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

भारत 5-का विधान संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 5-का में,

उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए :—

“(2) धारा 6 (क) के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नियमों के अध्याधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, अकेले या एक अन्य व्यक्ति के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा हेतु साठ हजार रुपये भूल्य के कूपन की पात्रता होगी, साथ ही ऐसे व्यक्ति ऐसे कूपन की “साठ हजार रुपये” की सीमा में ही हवाई यात्रा करने के भी हकदार होंगे।”

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक 7028/दी. 171/21-अ/प्रा./छ. ग/07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमल सिंह कपूर, उप-राज्यपाल

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2007)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2007

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-eighth year of the Republic of India follows :—

(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007.

Short title and Commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

In Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act),—

Amendment of Section 5-A.

For sub-section (2), the following sub-section shall be substituted :—

"(2) Every person entitled for pension under section 6 (A), subject to such rules which may be made by State Government shall be entitled to coupons of Rs. Sixty thousand value during one financial year for journey alone or with one person and that such persons shall also be entitled to journey by air within the limit of such coupons of "Rs. Sixty thousand"."

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जॉ. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2008—कैशाख 19, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक 4846/135/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का मिमलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-05-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 10 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973)
को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-प्रणाली द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संविधान सभा बया प्रसंग,

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिचय,

2. मूल अधिनियम से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973)।

धारा 5-क का संशोधन,

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) में शब्द “रुपये एक लाख पच्चीस हजार” के स्थान पर शब्द “रुपये दो लाख” स्थापित किया जाये।

(2) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये, अर्थात् -

“परंतु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ इस शर्त के अधीन यात्रा कर सकेगा, कि रेल एवं हवाई यात्राओं पर व्यं एक वित्तीय वर्ष में रुपये दो लाख से अधिक का नहीं होगा।”

(3) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (2) में शब्द “रुपये साठ हजार” के स्थान पर शब्द “रुपये एक लाख” स्थापित किया जाए।

(4) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (2) में अंक, कोष्टक तथा अक्षर “6 (क)” के स्थान पर अंक तथा अक्षर “6-क” प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 6-क का संशोधन,

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क (1) के द्वितीय परन्तुक में शब्दों “या जहां कोई सदस्य उप निर्वाचन में” के पश्चात् शब्द “या लोकसभा/ राज्यसभा का सदस्य” अन्तःस्थापित किया जाय।

धारा 6-क का संशोधन,

5. मूल अधिनियम की धारा 6-ग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाय, अर्थात् :-

“6-ग. प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, चिकित्सा प्रतिषुर्ति के किसी दावे के लिये धारा 7(2) के समक्ष हकदार होगा और उसे एक हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता भी दिया जायेगा।”

धारा 7 (2) का संशोधन,

6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में शब्द “उसके स्वयं के लिये” को विलोपित किया जाए।

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक 4846/135/21-अ/प्रा./छ. ग./08. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) का अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बृ. के. काठिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2008)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA
TATHA PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2008**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :-

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008. | Short title and Commencement. |
| | (2) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | Principal Act means the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973). | Definitions. |
| 3. | (1) In sub-section (1) of Section 5-A of the Principal Act for the words "Rs. One Lac Twenty Five Thousand" the words "Rs. Two Lac" shall be substituted.

(2) For first proviso of sub-section (1) of Section 5-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely -

"Provided that every member may travel alone or with one more person subject to the condition that expenditure on the journeys performed by rail and air shall not exceed Rupees Two Lac in a financial year." | Amendment of Section 5-A. |
| | (3) In sub-section (2) of Section 5-A of the Principal Act for the words "Rs. Sixty Thousand" the words "Rs. One Lac" shall be substituted.

(4) In sub-section (2) of Section 5-A of the Principal Act for the figure, bracket and letter "6 (A)", the figure and letter "6-A" shall be substituted. | |
| 4. | In the second proviso to Section 6-A (1) of the Principal Act, after the words "or where a member having been elected in a bye election" the words "or as a member of Lok Sabha/Rajya Sabha" shall be inserted. | Amendment of Section 6-A. |

(19)

**Amendment of
Section 6-C.**

5. For Section 6-C of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"6-C Every person who is entitled to pension under section 6-A, shall be entitled for medical reimbursement similar to claim under sub-section (2) of Section 7 and shall also be paid medical allowance of One thousand five hundred rupees per month."

**Amendment of
Section 7 (2).**

6. In sub-section (2) of Section 7 of the Principal Act, the words "for himself" shall be omitted.

मुद्रण संकालन समिति

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. मिलाई, दिनांक 30-5-2001।"



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त 2009—श्रावण 29, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 5689/151/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-08-2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काठिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2009)

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम,
2009**

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973)
को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम
हो :—

- | | | |
|---------------------------|-----|--|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम,
2009 कहलायेगा। |
| | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| धारा 4-क में संशोधन | 2. | छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा
4-क में शब्द “एक हजार” के स्थान पर शब्द “एक हजार सात सौ पचास” प्रतिस्थापित किया जाए। |

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 5689/151/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान
सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राथिकार से एतदद्वारा
प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव।

**CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2009)**

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2009**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :—

- | | |
|--|---|
| <p>1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009.</p> <p>(2) It shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette".</p> | <p>Short title and Commencement.</p> |
| <p>2. In Section 4-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) for the words "One Thousand" the words "One Thousand Seven Hundred Fifty" shall be substituted.</p> | |
| <p>Amendment of Section 4-A.</p> | |

“बिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक^(१)
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक^(२)
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक
जी-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 मई 2010—वैशाख 15, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, डाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2010

क्र. 5009/104/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिचियम जिस पर दिनांक 26-04-2010 को
राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इक्सटर्वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | |
|----------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा। |
| | (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| धारा 3 का संशोधन. | 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, शब्द “एक हजार पांच सौ” के स्थान पर शब्द “सात हजार” प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 4 का संशोधन. | 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द “पांच हजार” के स्थान पर शब्द “आठ हजार” प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 4-ख का संशोधन. | 4. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, शब्द “एक हजार” के स्थान पर शब्द “पांच हजार” प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 4-ग का संशोधन. | 5. मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उपधारा (एक) में, शब्द “पांच सौ पंचानवे” के स्थान पर शब्द “सात सौ पचास” प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 7 का संशोधन. | 6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, शब्द “एक हजार छः सौ पचास” के स्थान पर शब्द “दो हजार पांच सौ” प्रतिस्थापित किया जाये। |

रायपुर, दिनांक 3 मई 2010

क्र. 5009/104/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. यी. पाराशर, उप-सचिव,

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2010)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2010**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :-

1.	(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.	Short title and commencement.
2.	In Section 3 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "One Thousand Five Hundred" the words "Seven Thousand" shall be substituted.	Amendment of Section 3.
3.	In Section 4 of the Principal Act for the words "Five Thousand" the words "Eight Thousand" shall be substituted.	Amendment of Section 4.
4.	In Section 4-B of the Principal Act for the words "One Thousand" the words "Five Thousand" shall be substituted.	Amendment of Section 4-B.
	In sub-section (i) of Section 4-C of the Principal Act for the words "Five Hundred Ninety Five" the words "Seven Hundred Fifty" shall be substituted.	Amendment of Section 4-C.
	In sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act for the words "One Thousand Six Hundred Fifty" the words "Two Thousand Five Hundred" shall be substituted.	Amendment of Section 7.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मई 2010—वैशाख 17, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 5080/107/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-04-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2010)

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)
 अधिनियम, 2010**

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के इक्सठवे दर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा।
 (2) यह 1 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त होगा।
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-क (1) के द्वितीय पारंतुक में शब्द “विधान सभा के विघटन के कारण” के पश्चात् शब्द “अथवा त्यागपत्र के कारण” अंतःस्थापित किया जाये।

धारा 6-क (1) का संशोधन.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 5080/107/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा तथा बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा शेत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 डॉ. र्ही. भाराशार, उप-सचिव।

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2010)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2010**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :-

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force from the 1st November, 2000. | Short title and commencement. |
| 2. | In the second proviso to Section 6-A (1), of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), after the words "due to dissolution of Legislative Assembly or" the words "due to resignation or" shall be inserted. | Amendment of Section 6-A (1). |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नाम भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.पृ. 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

(14)

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011—वैशाख 16, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2011

क्रमांक 3336/113/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2011)

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)
 अधिनियम, 2011**

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | |
|----------------------------|-----|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा। |
| | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| धारा 6-क का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6-क की उपधारा (1) में शब्द “दस हजार” के स्थान पर शब्द “सोलह हजार” प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 6-ख का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम की धारा 6-ख में शब्द “पांच हजार” के स्थान पर शब्द “आठ हजार” प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 6-ग का संशोधन. | 4. | मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द “एक हजार पांच सौ” के स्थान पर शब्द “दो हजार पांच सौ” प्रतिस्थापित किया जाये। |

रायपुर, दिनांक 7 मई 2011

क्रमांक 3336/113/21-अ/प्रा./ठ. ग./11.—भारत के मंत्रिविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 के. ए.ल. चरथाणी, अतिरिक्त सचिव।

**CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2011)**

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA
TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India, as follows :—

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011. | Short title and commencement. |
| | (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | In sub-section (1) of Section 6-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Ten Thousand" the words "Sixteen Thousand" shall be substituted. | Amendment of Section 6-A. |
| 3. | In Section 6-B of the Principal Act, for the words "five thousand" the words "Eight Thousand" shall be substituted. | Amendment of Section 6-B. |
| 4. | In Section 6-C of the Principal Act, for the words "One thousand five hundred" the words "Two Thousand Five Hundred" shall be substituted. | Amendment of Section 6-C. |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7-अ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2012—पौष 23, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक 254/डी. 13/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2012 को राज्यपाल को अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. धी. पाराशर, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2012)

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)
अधिनियम, 2011**

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठबैं वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान पाण्डल द्वारा निर्भलीखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 4-ग का उप-धारा (दो) में, शब्द “पांच सौ पंचासनबे” के स्थान पर शब्द “सात सौ पचास” प्रतिस्थापित किया जाये।

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक 254/डी. 13/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य बेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. ची. पाराशर, उप-सचिव।

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2012)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA
TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

- | | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | <p>(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.</p> <p>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</p> | Short title and commencement. |
| 2. | <p>In sub-section (ii) of Section 4-C of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), for the words "Five Hundred Ninety Five" the words "Seven Hundred Fifty" shall be substituted.</p> | Amendment of Section 4-C. |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. फिल्होर्ड, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

16

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2012—प्रावण 10, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक 6423/डी. 170/21-अ/प्रारू. /छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदाया सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 15 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | |
|--------------------------|--|
| मर्क्झम नाम तथा प्रारंभ. | <p>1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा।</p> <p>(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।</p> |
| धारा 5-क का संशोधन. | <p>2. (1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 5-क की उप-धारा (1) तथा उसके प्रथम परन्तुक में, शब्द “रूपये दो लाख” के स्थान पर शब्द “रूपये तीन लाख” प्रतिस्थापित किया जाये।</p> <p>(2) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उप-धारा (2) में, शब्द “रूपये एक लाख” के स्थान पर शब्द “रूपये एक लाख पचास हजार” प्रतिस्थापित किया जाये।</p> |
| धारा 6-क का संशोधन. | <p>3. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में, शब्द “दो सौ रुपये” के स्थान पर शब्द “तीन सौ रुपये” प्रतिस्थापित किया जाए और शब्द “अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी” के पश्चात् शब्द “और यह भी कि यदि किसी व्यक्ति ने दस वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे दस वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए चार सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी और यदि किसी व्यक्ति ने पन्द्रह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे पन्द्रह वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी” जोड़ा जाये।</p> |
| धारा 6-ख का संशोधन. | <p>4. मूल अधिनियम की धारा 6-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :—
 “किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आप्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह दस हजार रुपये पेंशन दी जायेगी।”</p> |

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक 6423/डी. 170/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. घरथाणी, अतिरिक्त सचिव,

**CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2012)**

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA
TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

- | | |
|---|-------------------------------|
| <p>1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.</p> <p>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</p> | Short title and commencement. |
| <p>2. (1) In sub-section (1) and its first proviso of Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Rs. Two Lac" the words "Rs. Three Lac" shall be substituted.</p> <p>(2) In sub-section (2) of Section 5-A of the Principal Act, for the words "Rs. One Lac" the words "Rs. One Lac Fifty Thousand" shall be substituted.</p> | Amendment of Section 5-A. |
| <p>3. In the first proviso to sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act, for the words "two hundred rupees" the words "three hundred rupees" shall be substituted and after the words "in excess of five years" the words "and if any person has served as aforesaid for a period exceeding ten years there shall be paid to him an additional pension of four hundred rupees per mensem for every year in excess of ten years and if any person has served as aforesaid for a period of more than fifteen years there shall be paid to him an additional pension of five hundred rupees per mensem for every year in excess of fifteen years." shall be added.</p> | Amendment of Section 6-A. |
| <p>4. For Section 6-B of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—
"There shall be paid a pension of rupees ten thousand per mensem to the spouse, if any for life or to a dependent of a member or ex-member for a period of fifteen years from the date of his death."</p> | Amendment of Section 6-B. |

“बिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक
जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल 2013—वैत्र 25, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 3025/डो. 109/21-अ/प्रारू. /छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-04-
2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा संवृत्ताधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. ए.ल. चरवाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | |
|------------------------|---|
| संधिक्षण तथा प्राप्ति- | <p>1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा।</p> <p>(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।</p> |
| धारा 2 का संशोधन, | <p>2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित ओड़ा जाये, अर्थात् :—</p> <p>“(घ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची।”</p> |
| धारा 3 का संशोधन, | <p>3. मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द “सात हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “अनुसूची में विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये।</p> |
| धारा 4 का संशोधन, | <p>4. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द “आठ हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “अनुसूची में विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये।</p> |
| धारा 4-क का संशोधन, | <p>5. मूल अधिनियम की धारा 4-क में शब्द “एक हजार सात सौ रुपये प्रतिमास दिये जायेंगे” के स्थान पर शब्द “अनुसूची में विनिर्दिष्ट राशि दी जायेगी” प्रतिस्थापित किया जाये।</p> |
| धारा 4-ख का संशोधन, | <p>6. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में शब्द “पाँच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से” के स्थान पर “अनुसूची में विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये।</p> |
| धारा 4-ग का संशोधन, | <p>7. मूल अधिनियम की धारा 4-ग से जहां कहाँ भी शब्द “सात सौ पचास रुपये की दर से” आया हो के स्थान पर शब्द “अनुसूची में विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये।</p> |
| धारा 7 का संशोधन, | <p>8. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में शब्द “दो हजार पाँच सौ रुपये का” के स्थान पर शब्द “अनुसूची में विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये।</p> |

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् विस्तृत अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :—

अनुसूची का अन्तः
स्थापन.

अनुसूची
[धारा 2(घ) देखें]

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 10,000 प्रतिमास
धारा 4	सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 25,000 प्रतिमास
धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रुपये 3,000 प्रतिमास
धारा 4-ख	अर्दली भत्ता	रुपये 10,000 प्रतिमास
धारा 4-ग	दैनिक भत्ता विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने का अतिरिक्त दैनिक भत्ता।	रुपये 750 प्रतिदिन
धारा 7 (1)	सदस्यों को विकित्सा भत्ता	रुपये 750 प्रतिदिन
		रुपये 4,500 प्रतिमास

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 3025/डी. 109/21-अ/प्रारू./व. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (‘संरक्षण’) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वय प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पू. चरवाणी, अतिरिक्त सचिव,

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2013)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHNIIYAM, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth Year of the Republic of India, as follows:—

- | | |
|-------------------------------|---|
| Short title and commencement. | <p>1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.</p> <p>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</p> |
| Amendment Section 2. | <p>2. After clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be added, namely :—</p> <p style="padding-left: 20px;">“(d) “Schedule” means a Schedule appended to this Act.”</p> |
| Amendment Section 3. | <p>3. In Section 3 of the Principal Act, for the words “of Seven Thousand rupees per mensem” the words “as specified in the Schedule” shall be substituted.</p> |
| Amendment Section 4. | <p>4. In Section 4 of the Principal Act, for the words “of Eight Thousand rupees per mensem” the words “as specified in the Schedule” shall be substituted.</p> |
| Amendment Section 4-A. | <p>5. In Section 4-A of the Principal Act, for the words “One Thousand Seven Hundred Fifty per mensem” the words “of an amount as specified in the Schedule” shall be substituted.</p> |
| Amendment Section 4-B. | <p>6. In Section 4-B of the Principal Act, for the words “Five Thousand rupees per mensem” the words “as specified in the Schedule” shall be substituted.</p> |
| Amendment Section 4-C. | <p>7. In Section 4-C of the Principal Act, wherever occur the words “at the rate of rupees Seven Hundred Fifty per day” the words “as specified in the Schedule” shall be substituted.</p> |
| Amendment Section 7. | <p>8. In Sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, for the words “of Two Thousand Five Hundred per mensem” the words “as specified in the Schedule” shall be substituted.</p> |
| Insertion of Schedule. | <p>9. After Section 10 of the Principal Act, the following Schedule shall be added, namely :—</p> |

“SCHEDULE
[See Section 2(d)]

Section (1)	Pay/Allowance Particular (2)	Amount (3)
Section 3	Salaries of members	Rupees 10,000 per mensem
Section 4	Constituency allowance for members	Rupees 25,000 per mensem

(1)	(2)	(3)
Section 4-A	Telephone allowance	Rupees 3,000 per mensem
Section 4-B	Ardali allowance	Rupees 10,000 per mensem
Section 4-C	Daily Allowance	Rupees 750 per day
	Additional daily allowances for attending the meeting of Vidhan Sabha or meeting of Committees.	Rupees 750 per day
Section 7 (1)	Medical allowance to members	Rupees 4,500 per mensem"

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, क्रपांक जो. २२-छत्तीसगढ़ गजट/३८ सि. से. भिलाई, दिनांक ३०-५-२००१.”



पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/०९/२०१२-२०१५.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रपांक 183]

रायपुर, सोमवार, दिनांक ६ मई २०१३—वैशाख १६, शक १९३५

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक ६ मई २०१३

क्रमांक ३६८५/डी. १२०/२१-अ/प्रारू. /छ. ग./१३.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक २६-०४-२०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुवर्णा सार्वत, अलिरिका सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन, अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | |
|-------------------------|---|
| संहिता नाम तथा प्रारंभ. | <ol style="list-style-type: none"> 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा।
 (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| धारा 6-ग का संशोधन. | <ol style="list-style-type: none"> 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-ग में शब्द “दो हजार पाँच सौ” के स्थान पर शब्द “दस हजार” प्रतिस्थापित किया जाये। |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 3685/डी. 120/21-अ/प्रासू/छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील चौहान, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2013)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA
TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension, Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :---

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.
2. In Section 6-C of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension, Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), for the words "Two Thousand Five Hundred" the words "Ten Thousand" shall be substituted. Amendment of Section 6-C.

(20)

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक बुक्स के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के विषय हेतु अनुमति नमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. शिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/रुई/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

[क्रमांक 175]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 — वैशाख ९, सक 1938

**विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4228/डी. 144/21-अ/प्रासू./छ. ग./16 — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22-04-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षी. के. होता, अतिरिक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(ब्रह्मांक 17 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भ्रातृत गणराज्य के सदस्यों वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

संक्षिप्त नाम तथा डार्टम. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलायाः।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 5-क का डार्टम. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के स्पष्ट में निर्दिष्ट है), की धारा 5-क में:-

(एक) उप-धारा (1) में, जहाँ कहते थे शब्द “रूपये तीन लाख” आये हो के स्थान पर, शब्द “अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) उप-धारा (2) में, शब्द “एक लाख पचास हजार” के स्थान पर, शब्द “अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 6-क का डार्टम. 3. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (1) में शब्द “सोलह हजार रुपये प्रतिमास” के स्थान पर, शब्द “अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 6-ग का डार्टम. 4. मूल अधिनियम की धारा 6-ग में, शब्द “दस हजार रुपये प्रतिमास” के स्थान पर, शब्द “अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये।

अनुसूची का डार्टम. 5. विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“अनुसूची

[धारा 2(द) देखिये]

स.क्र. (1)	धारा (2)	वेतन/भत्ता का विवरण (3)	राशि (4)
1.	धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 20,000 प्रतिमास
2.	धारा 4	सदस्यों के लिये निवाचिन क्षेत्र भत्ता,	रुपये 30,000 प्रतिमास
3.	धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रुपये 5,000 प्रतिमास
4.	धारा 4-ख	अर्द्धती भत्ता	रुपये 15,000 प्रतिमास

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	धारा 4-ग	(एक) दैनिक भत्ता (दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त ईनिक भत्ता	(एक) रुपये 1,000 प्रतिदिन (दो) रुपये 1,000 प्रतिदिन
6.	धारा 5-क (1)	सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा	रुपये 4,00,000 प्रतिवर्ष
7.	धारा 5-क (2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा	रुपये 2,00,000 प्रतिवर्ष
8.	धारा 6-क (1)	पेशन	रुपये 20,000 प्रतिमास
9.	धारा 6-ग	भूतपूर्व सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता	रुपये 15,000 प्रतिमास
10.	धारा 7 (1)	सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता	रुपये 10,000 प्रतिमास.”

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4228/डी. 144/21-अ/प्रारू. /छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (J) के अनुसरण में इस विभाग की समसंबंधीक अधिसूचना दिनांक 29-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एवंद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवश्यानुसार,
क्षे. के. होता, अतिरिक्त सचिव. *

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2016)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Short title and commencement. | 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. |
| Amendment of Section 5-A. | 2. | In Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act).-

(i) in sub-section (1), for the words "Rs. Three Lac", wherever they occur, the words "as specified in the Schedule" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the words "Rs. One Lac Fifty Thousand", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted. |
| Amendment of Section 6-A. | 3. | In sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act, for the words "Sixteen thousand rupees per mensem", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted. |
| Amendment of Section 6-C. | 4. | In Section 6-C of the Principal Act, for the words "Ten thousand rupees per month", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted. |
| Amendment Schedule. | 5. | For the existing Schedule, the following shall be substituted, namely :- |

"SCHEDULE
[See Section 2 (d)]

S. No.	Section	Pay/Allowance	Amount
		Particular	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Section 3	Salaries of Member	Rupees 20,000 per mensem
2.	Section 4	Constituency allowance for member.	Rupees 30,000 per mensem
3.	Section 4-A	Telephone allowance	Rupees 5,000 per mensem
4.	Section 4-B	Ardali allowance	Rupees 15,000 per mensem

20

(1)	(2)	(3)	(4)
	Section 4-C	(i) Daily allowance (ii) Additional daily allowance for attending the meeting of Vidhan Sabha or meeting of Committees.	(i) Rupees 1,000 per day (ii) Rupees 1,000 per day
6.	Section 5-A(1)	Rail and Air Travel for members	Rupees 4,00,000 per year
7.	Section 5-A(2)	Rail and Air Travel for ex-members	Rupees 2,00,000 per year
8.	Section 6-A(1)	Pension	Rupees 20,000 per mensem
9.	Section 6-C	Medical allowance for ex-members	Rupees 15,000 per mensem
10.	Section 7(1)	Medical allowance to members	Rupees 10,000 per mensem

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 17 of 2002)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002.**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

- | | | |
|--------|---|-------------------------------|
| 1. (I) | This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 17 of 2002). | Short title and commencement. |
| (II) | It shall come into force from the date of its publication in the Gazette. | |
| 2. (I) | In Section 4 (c) of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) for the word "three hundred" the words "two hundred fifty" shall be substituted. | Amendment in Section 4 (c). |
| (II) | At the end of Section 4 (c) the words "Members shall further be entitled to daily allowance at the rate of Rs. 250 per day for the days they attend meetings of Vidhan Sabha or meeting of committees" shall be inserted. | |

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 27 of 2004)

CHHATTISGARH VIDHANSABHA SADASYA VETAN BHATTA TATHA PENSION
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2004

INDEX

SECTION:

1. Short Title and Commencement
2. Amendment of Section - 4
3. Amendment of Section - 4 - A
4. Amendment of Section - 4 - B
5. Amendment of Section - 4 - C
6. Insertion of New Section - 4 - D
7. Amendment of Section - 5 - A
8. Amendment of Section - 6 - A
9. Amendment of Section - 6 - B
10. Amendment of Section - 7

CHHATTISGARH ACT
(No. 27 of 2004)

**THE CHHATTISGARH VIDHANSABHA SADASYA (VETAN, BHATTA
TATHA PENSION), (SANSHODHAN) ACT, 2004**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension), Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Fifth year of the Republic of India as follows :-

- | | | |
|---------------------------------------|----|--|
| Short title, and Commencement. | 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Ventan Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the gazette. |
| Amendment of Section 4. | 2. | In Section 4 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Three Thousand" the words "Five Thousand" shall be substituted. |
| Amendment of Section 4-A. | 3. | In Section 4-A of the Principal Act for the words "Four Thousand" the words "Five Thousand" shall be substituted. |
| Amendment of Section 4-B. | 4. | In Section 4-B of the Principal Act for the words "One Thousand" the words "Two Thousand" shall be substituted. |
| Amendment of Section 4-C. | 5. | For sub-section (ii) of Section 4-C the following sub-section shall be substituted, namely :-

(ii) For those days in which a member attend the meetings of Vidhan Sabha Committees, In Capital or out of State for such meetings member entitle additional daily allowance at the rate of Rs. 250/- per day before a day and after a day of date of such meetings." |
| Insertion of new Section 4-D. | 6. | After Section 4-C of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :-

"4-D. There shall be to every member stationery allowance of Four Thousand rupees per mensem." |
| Amendment of Section 5-A. | 7. | In Section 5-A of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1) for the words "Seventy Five Thousand" the words "One Lac Twenty Five Thousand" shall be substituted.

(ii) for first proviso of the sub-section (1) the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that every member shall entitle for both side Five Air Journeys with one person accompanying him".

(iii) in sub-section (2), for the words "Forty Thousand" the words "Sixty Thousand" shall be substituted; and after sub-section (2) the following proviso shall be added, namely :- |

છત્રીસાગ પલેટ, વિસ્તાર 15 ફર્વારી 2005

62 (5)

"Provided that such person within limit "Sixty Thousand" shall entitle for Three Air Journeys".

- | | |
|--|------------------------------|
| 8. In Section 6-A of the Principal Act, for the words "Three Thousand Five Hundred" the words " Ten Thousand" shall be substituted. | Amendment of
Section 6-A. |
| 9. For Section 6-B the following Section shall be substituted, namely :- <p style="margin-left: 20px;">"6-B. There shall be paid a pension of rupees five thousand per mensem to the spouse if any or dependent of a member/ex-member for a period of ten years from the date of his death".</p> | Amendment of
Section 6-B. |
| 10. In Section 7-1 of the Principal Act for the words " one thousand five hundred" the words "three thousand" shall be substituted. | Amendment of
Section 7-1. |

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2005)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA PENSION), (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension), Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh (Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension), (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.
2. It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.
2. In Section 4-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Five Thousand" the words "One Thousand" shall be substituted.
3. In Section 4-B of the Principal Act for the words "Two Thousand" the words "One Thousand" shall be substituted.
4. In sub-section (i) and (ii) of Section 4 of the Principal Act for the words "Two Hundred Fifty" the words "Five Hundred Ninety Five" shall be substituted.
5. Section 4-D of the Principal Act, shall be "omitted".
6. In Section 7-1 of the Principal Act, for the words "Three Thousand" the words "One Thousand Six Hundred Fifty" shall be substituted.

Short title and Commencement.

Amendment of Section 4-A.

Amendment of Section 4-B.

Amendment of Section 4-C.

Omission of Section 4-D.

Amendment of Section 7-1.

**CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2006)**

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA PENSION) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Sixth year of the Republic of India as follows :—

(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

Short title and Commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

For sub-section (1) of Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) the following shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 5-A.

"(1) Every member shall be entitled to tour within India by rail and air, free of cost, within the fare limits of rupees One Lac Twenty five thousand in a financial year. Such member shall also be provided with railway coupons for railway journey which shall subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf."

(2) For first proviso of sub-section (1), the following shall be substituted, namely :—

"Provided that every member may travel by air alone or with any person accompanying with the fare limits of Rupees Eighty Five Thousand. The expenditure on the journey performed by rail and air shall not exceed Rupees One lac Twenty Five Thousand in a financial year.

Provided further that such members shall be entitled for such facility from 15-2-2005."

**CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2007)**

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2007**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows :—

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | Short title and Commencement. |
| 2. | In Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), — | Amendment of Section 5-A. |

For sub-section (2), the following sub-section shall be substituted :—

- "(2) Every person entitled for pension under section 6 (A), subject to such rules which may be made by State Government shall be entitled to coupons of Rs. Sixty thousand value during one financial year for journey alone or with one person and that such persons shall also be entitled to journey by air within the limit of such coupons of "Rs. Sixty thousand"."

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक 4846/135/21-अ/प्रा./छ.ग./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, उप-सचिव.

**CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2008)**

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA
TATHA PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2008**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :—

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008. | Short title and Commencement |
| | (2) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | Principal Act means the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973). | Definitions |
| 3. | (1) In sub-section (1) of Section 5-A of the Principal Act for the words "Rs. One Lac Twenty Five Thousand" the words "Rs. Two Lac" shall be substituted. | Amendment of Section 5-A |
| | (2) For first proviso of sub-section (1) of Section 5-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely -

"Provided that every member may travel alone or with one more person subject to the condition that expenditure on the journeys performed by rail and air shall not exceed Rupees Two Lac in a financial year." | |
| | (3) In sub-section (2) of Section 5-A of the Principal Act for the words "Rs. Sixty Thousand" the words "Rs. One Lac" shall be substituted. | |
| | (4) In sub-section (2) of Section 5-A of the Principal Act for the figure, bracket and letter "6 (A)", the figure and letter "6-A" shall be substituted. | |
| 4. | In the second proviso to Section 6-A (1) of the Principal Act, after the words "or where a member having been elected in a bye election" the words "or as a member of Lok Sabha/Rajya Sabha" shall be inserted. | Amendment of Section 6-A |

Amendment of
Section 6-C.

5. For Section 6-C of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"6-C Every person who is entitled to pension under section 6-A, shall be entitled for medical reimbursement similar to claim under sub-section (2) of Section 7 and shall also be paid medical allowance of One thousand five hundred rupees per month."

Amendment of
Section 7 (2).

6. In sub-section (2) of Section 7 of the Principal Act, the words "for himself" shall be omitted.

**CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2009)**

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ACT, 2009**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :—

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009. 2. In Section 4-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) for the words "One Thousand" the words "One Thousand Seven Hundred Fifty" shall be substituted. | <p>Short title and Commencement.</p> <p>Amendment of Section 4-A.</p> |
|---|---|

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आस्तिन 6, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

क्रमांक 7291/डी. 148/21-अ/प्रारू. /छ. ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 15 सन् 2020)

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)
अधिनियम, 2020**

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) में
और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | |
|----------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा। |
| | (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| धारा 6-ख का संशोधन. | 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 6-ख में, शब्द “प्रतिमाह दस हजार रुपये” के स्थान पर, शब्द “अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये। |
| अनुसूची का संशोधन. | 3. मूल अधिनियम में, अनुसूची में, सरल क्रमांक 6, 7 एवं 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- |

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	धारा 5-क (1)	सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित।	रुपये 8,00,000 प्रतिवर्ष
7.	धारा 5-क (2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित।	रुपये 4,00,000 प्रतिवर्ष
8.	धारा 6-क (1)	पेंशन	रुपये 35,000 प्रतिमास
8 क.	धारा 6-ख	किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी, यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी।	रुपये 25,000 प्रतिमास”

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

क्रमांक 7291/डी. 148/21-अ/प्रारू. /छ. ग./20.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंब्यक अधिनियम दिनांक 24-9-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव।

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2020)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

1.	(1) This Act may be called The Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.	Short title and commencement.
	(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.	
2.	In the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 6-B, for the words "rupees ten thousand per mensem", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.	Amendment of Section 6-B.
3.	In the Principal Act, in Schedule, for serial number 6, 7 and 8 and entries relating thereto, the following shall be substituted, respectively, namely :-	Amendment of Schedule.
(1)	(2)	(3)
		(4)
6.	Section 5-A (1) Rail and Air Travel for Members with Boarding.	Rupees 8,00,000 per year
7.	Section 5-A (2) Rail and Air Travel for ex-members with Boarding.	Rupees 4,00,000 per year
8.	Section 6-A (1) Pension	Rupees 35,000 per mensem
8A.	Section 6-B There shall be paid a pension to the spouse, if any for life or to a dependent of a member or ex-member for a period of fifteen years from the date of death of the member.	Rupees 25,000 per mensem."

‘बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.’



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 21, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

क्रमांक 10027/डी. 94/21-अ/प्रारू. /छ. ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2022)

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)
अधिनियम, 2022.**

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलाएगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) के अनुसूची के, सरल क्रमांक 1, 2, 3, 5 एवं 10 की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित किया जायें, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	धारा 3	सदस्यों का वेतन	रूपये 20,000 प्रतिमास
2.	धारा 4	सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रूपये 55,000 प्रतिमास
3.	धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रूपये 10,000 प्रतिमास
5.	धारा 4-ग	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000 प्रतिदिन
10.	धारा 7(1)	सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता	रूपये 15,000 प्रतिमास”

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

क्रमांक 10027/डी. 94/21-अ/प्रारू. /छ. ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 12-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 उमेश कुमार काठिया, अतिरिक्त सचिव।

CHHATTISGARH ACT

(No. 12 of 2022)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022.**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha sadasya vetan, bhatta tatha pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows :-

1.	(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.	Short title and commencement.
	(2) It shall Come into force on the date of its publication in the Official Gazette.	
2.	For the entries relating thereto of serial number 1, 2, 3, 5 and 10 of Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the following entries shall be substituted, namely:-	Amendment of Schedule.
(1)	(2)	(3)
“1.	Section 3	Salaries of Member
2.	Section 4	Constituency allowance for Members
3.	Section 4-A	Telephone allowance
5.	Section 4-C	Daily allowance
10.	Section 7(1)	Medical allowance for Members
		(4)
		Rupees 20,000 per mensem
		Rupees 55,000 per mensem
		Rupees 10,000 per mensem
		Rupees 2,000 per day
		Rupees 15,000 per mensem”

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2023 — वैशाख 4, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. 5131/डी. 52/21-अ/प्रारू. /छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 13-04-2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 9 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | |
|-------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम
तथा प्रारंभ. | <p>1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलाएगा।</p> <p>(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।</p> |
| धारा 4—क का
संशोधन. | <p>2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 4—क में, शब्द “सदस्य” के पश्चात्, शब्द “तथा भूतपूर्व सदस्य” अंतःस्थापित किया जाये।</p> |
| धारा 4—ख का
संशोधन. | <p>3. मूल अधिनियम की धारा 4—ख में, शब्द “सदस्य” के पश्चात्, शब्द “तथा भूतपूर्व सदस्य” अंतःस्थापित किया जाये।</p> |

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (1) धारा 6-क का के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित संशोधन, परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, 05 वर्ष से अधिक कालावधि के लिए पूर्वोक्त रूप से कार्य किया हो, वहां उसे 05 वर्ष से ऊपर प्रत्येक वर्ष के लिए रुपये 1,000/- प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।”

5. मूल अधिनियम की अनुसूची के सरल क्रमांक 3, 4, 6, 7 तथा 8 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	धारा 4-क	सदस्य एवं भूतपूर्व सदस्यों को टेलीफोन भत्ता	रुपये 10,000/- प्रतिमास
4.	धारा 4-ख	प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को अर्दली भत्ता	रुपये 15,000/- प्रतिमास
6.	धारा 5-क(1)	सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित	रुपये 10,00,000/- प्रतिवर्ष
7.	धारा 5-क(2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित	रुपये 5,00,000/- प्रतिवर्ष
8.	धारा 6-क(1)	पेंशन	रुपये 58,300 प्रतिमास”

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. 5131/डी. 52/21-अ/प्रारु./छ.ग./23. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 21-04-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 9 of 2023)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM 2023.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

- | | |
|--|---|
| Short title
and
commencement. | 1. (1) This Act may be called The Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023. |
| | (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. |
| Amendment of
Section 4-A. | 2. In Section 4-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), after the word “member”, the words “and ex-member” shall be inserted. |
| Amendment of
Section 4-B. | 3. In Section 4-B of the Principal Act, after the word “member”, the words “and ex-member” shall be inserted. |

4. For the first proviso of sub-section (1) of **Amendment of Section 6-A.**
Section 6-A of the Principal Act, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding 05 years, there shall be paid to him an additional pension of Rs. 1,000/- per mensum for every year in excess of 05 years.”

5. For the entries relating to serial number 3, 4, 6, **Amendment of
7 and 8 of Schedule of the Principal Act, the Schedule.**
following entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	Section 4-A	Telephone allowance for member and ex-members	Rupees 10,000/- per mensem
4.	Section 4-B	Ardali allowance for every member and ex-members	Rupees 15,000/- per mensem
6.	Section 5-A(1)	Rail and Air Journey for Members, with boarding	Rupees 10,00,000/- per year
7.	Section 5-A(2)	Rail and Air Journey for Ex-Members, with boarding	Rupees 5,00,000/- per year
8.	Section 6-A(1)	Pension	Rupees 58,300 per mensem”